विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखों का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संचय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोजन का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय 3 रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 653.11 करोड़ की (1.87 प्रतिशत) कमी आई। कर राजस्व में पिछले वर्ष से 2016-17 में ₹ 914.73 करोड़ (3.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि गैर-कर राजस्व में ₹ 134.71 करोड़ (26.14 प्रतिशत) की कमी और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों में ₹ 1,433.13 करोड़ (33.66 प्रतिशत) की कमी हुई। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों में कमी का मुख्य कारण 'केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त होने के कारण राजस्व के घाटे की प्रतिपूर्ति' के अंतर्गत 2015-16 में ₹ 2,572.48 करोड़ की तुलना में 2016-17 में ₹ 690.53 करोड़ तक होने वाली कमी है। 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. के अपने कर-राजस्व का अंश 90.67 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 29,301.92 करोड़ का राजस्व व्यय पिछले वर्ष के व्यय से ₹ 2,959.37 करोड़ (11.23 प्रतिशत) से बढ़ गया है। 2016-17 के दौरान

राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 88.64 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 969.17 करोड़ घट गया। वर्ष 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 11.36 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

31 मार्च 2017 तक सरकार ने ₹ 18,933.05 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वांइट स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया था। इन निवेशों पर वापसी 0.06 प्रतिशत थी जबकि 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत 8.65 प्रतिशत था।

(पैरा 1.8.1)

रा.रा.क्षे.दि.स. की संपूर्ण राजकोषीय देयतायें 2012-13 के ₹ 29,242.71 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 33,344.78 करोड़ (14.03 *प्रतिशत*) हो गई। 2016-17 के अंत में राजकोषीय देयतायें राजस्व प्राप्तियों का 0.97 गुणा तथा रा.रा.क्षे. के अपने संसाधनों का 1.06 गुणा थी।

(पैरा 1.9.2)

राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर दर्शाते हैं कि 2015-16 में ₹ 8,656.30 करोड़ का राजस्व आधिक्य 2016-17 में ₹ 3,612.48 करोड़ (41.73 प्रतिशत) से घट कर ₹ 5,043.82 करोड़ हो गया। 2015-16 में ₹ 1,331.92 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य 178.87 प्रतिशत से घट गया तथा 2016-17 में ₹ 1,050.50 करोड़ के राजकोषीय घाटे में बदल गया। 2015-16 में ₹ 4,141.73 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य 2016-17 में घटकर (55.77 प्रतिशत) ₹ 1,832.02 करोड़ हो गया।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2016-17 के दौरान, ₹ 47,429.27 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों के प्रति ₹ 37,620.77 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,808.50 करोड़ की बचत हुई। ₹ 9,808.50 करोड़ की कुल बचत में से

राजस्व सेक्शन के अन्तर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन में ₹ 6,698.38 करोड़ की बचत और पूंजीगत क्षेत्र तथा ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत ₹ 3,110.12 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.2)

2006-07 से 2015-16 के अनुदानों के संबंध में ₹ 85.71 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के लिए छः अनुदानों में ₹ 5.34 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 2.3.1 तथा 2.3.2)

वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि आठ अनुदानों से संबंधित 12 मामलों में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिनका कुल योग ₹ 1,240.61 करोड़ था।

(पैरा 2.3.3)

तीन उपशीर्ष में ₹ 27.32 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। यद्यपि, अंतिम व्यय अब भी मूल अनुदान से कम था।

(पैरा 2.3.6)

10 अनुदानों जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचतें है, के अंतर्गत ₹ 8,835.42 करोड़ की बचतों में से ₹ 3,575.75 करोड़ (बचतों का 40.47 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.9)

अनुदान सं. 10-विकास के अधीन 2014-15 से 2016-17 के दौरान 5 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ या अधिक की लगातार बचतें थी। 55 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सका। जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 28.28 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति इन मामलों में ₹ 44.75 करोड़ की संचित गैर-उपयोगिता हुई थी।

(पैरा 2.5)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2016, तक दिए गए ₹ 15,220.87 करोड़ की राशि के कुल 3944 अनुदानों में से, मार्च 2017 के अन्त तक ₹ 7,269.69 करोड़ के 3,105 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे। बकाया 3105 उ.प्र. में से ₹ 4,939.01 करोड़ के 1980 उ.प्र. (63.77 *प्रतिशत*) दो से 10 वर्ष से बकाया थे, जबकि ₹ 2,330.68 करोड़ के 1125 उ.प्र. (36.23 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2015-16 तक पाँच स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 15 वार्षिक लेखे 31 मार्च 2017 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2017 तक ₹ 198.56 करोड़ की पर्याप्त राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया थी जिनका त्वरित समाशोधन तथा लेखों के उचित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)